



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1937 (श10)

(सं0 पटना 102) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

okf.kT; &dj foHkkx
&&&&&&&&&
vf/kl ipuk, a
2 Qjoj 2016

एस०ओ० 22 दिनांक 2 फरवरी 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा—3क की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या—एस०ओ० 51, दिनांक 04.05.2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 1 एवं 2 के स्तंभ 3 के वर्त्तमान प्रविष्टि “20 प्रतिशत” को प्रविष्टि “30 प्रतिशत” द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते है।

[(सं०स०बिक्री—कर/संशोधन—संशोधन—02/2013&438)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

2 Qjoj 2016

एस०ओ० 23, एस०ओ० 22 दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०स०बिक्री—कर/संशोधन—संशोधन—02/2013&439)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 2nd Febuary 2016

S.O. 22 dated 2nd Febuary 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the present entry “20 percent” of column number (3) of serial number 1 and 2 of

table appended to Departmental Notification Number S.O. 51 dated 04.03.2006 (as amended from time to time) by the entry “30 percent” with immediate effect.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan-02/2013-438)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-principal Secretary .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 102-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>